भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2113

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2023 को दिया जाना है

कोयला नीलामी पर कैग की चिंता

2113. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने व्यावसायिक समूहों द्वारा शैल कंपनियों की तैनाती करने और देश के कोयला भंडारों पर कब्जा करने के लिए साठगांठ करने के बारे मे चिंता जताई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिमी बंगाल राज्य में सरिसतोल्ली कोयला खदान की नीलामी में विजेता सहित पांच में से तीन बोली लगाने वाले एक ही समूह के थे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : महानिदेशक लेखापरीक्षा ने "कोयला खानों की ई-नीलामी"- कोयला मंत्रालय पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक-केंद्र सरकार (सी एंड एजी) की 2016 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 20 की प्रति अग्रेषित की, जिसे 26.07.2016 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया था जिसमें सीएंडएजी ने उल्लेख किया है कि "लेखापरीक्षा द्वारा यह आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सका कि पहले दो दौरों में नीलाम की गई 11 कोयला खानों की द्वितीय चरण की बोली के दौरान प्रतिस्पर्धा का संभावित स्तर हासिल किया गया था। यह विशेष कोयला खान की ई-नीलामी में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए एक ही कंपनी/मूल-सहायक कंपनी संघ/जेवी संघ को अनुमति देने के प्रावधान के कारण था, जबकि चरण II बोली के दौरान भाग लेने के लिए अनुमति दिए जा रहे तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की संख्या की उच्चतम सीमा तय थी"।

(ख) : सरिसाटोली कोयला खान सहित विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला खानों की नीलामी के पहले दौर की निविदा शर्तों के अनुसार कंपनी या सरकारी कंपनी या निगम या संयुक्त

उद्यम कंपनी को बोली लगाने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, पात्रता शर्तों में से एक के अनुसार, निर्दिष्ट अंत्य उपयोग परियोजना (ईयूपी) की क्षमता उस कोयला खान की क्षमता के अनुपात में होगी जिसके लिए कंपनी बोली लगा रही है। एक ही खान के लिए बोली लगाने हेतु एकल कंपनी के कई अंत्य-उपयोग संयंत्रों को अनुमति देने के पीछे उद्देश्य यह था कि ईयूपी की आवश्यकता के आधार पर कोयले की आवश्यकता का आकलन किया जाना है। कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 [सीएमएसपी अधिनियम] निर्धारित करता है कि नीलामी अंत्य-उपयोग विशिष्ट होनी चाहिए और इसलिए, ईयूपी के आधार पर बोलियों पर विचार किया गया। इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि प्रत्येक ईयूपी को कोयले की अपनी विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। सरिसाटोली कोयला खान की नीलामी में पांच बोलीदाताओं ने भाग लिया। नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सफल बोलीदाता के रूप में सीईएससी लिमिटेड की अनुशंसा की गई थी।

(ग) : वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खानों की ई-नीलामी की नई व्यवस्था में, पात्रता शर्तों में से एक यह है कि बोलीदाता किसी विशेष कोयला खान के लिए केवल 1 (एक) बोली प्रस्तुत करेगा। ऐसे बोलीदाता का कोई भी संबद्ध उक्त कोयला खान के लिए बोली प्रस्तुत नहीं करेगा। यदि किसी बोलीदाता का संबद्ध भी उक्त कोयला खान के लिए बोली प्रस्तुत करता है, तो बोलीदाता और उसके संबद्ध दोनों द्वारा प्रस्तुत बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

****